

नविवारक नरिध हेतु नए मानक

प्रलिमिंस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, नविवारक नरिध, वदिशी मुदरा संरक्षण और तसकरी नविवरण अधनियिम, 1974, अनुच्छेद 22 (5), मौलिक अधकार, संसद, राज्य वधिानमंडल, 44वां संशोधन अधनियिम, 1978, गैर-कानूनी गतविधिियाँ रोकथाम अधनियिम (UAPA), 1967, अनुच्छेद 21।

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध कानूनों के साथ लोकतांत्रिक सिदिधांतों और व्यक्तगत स्वतंत्रता को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024, 2024 22/11/2024 सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा नविवारक नरिध हेतु नए मानक स्थापति कयि गए।

- यह फैसला वदिशी मुदरा संरक्षण और तसकरी नविवरण अधनियिम (COFEPOSA), अधनियिम, 1974 के तहत नविवारक नरिध आदेश द्वारा अस्तित्व में आया, जसि केरल उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

नविवारक नरिध हेतु नए मानक क्या हैं?

- नषिपक्ष और प्रभावी अवसर: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा हरिसत में लयि गए व्यक्तिको हरिसत के लयि आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करानी होंगी और ऐसा नहीं कयि जाने पर हरिसत को अमान्य कर दिया जाएगा।
- संवैधानिक अधकार: सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि व्यक्तगत स्वतंत्रता एक सर्वोपरि संवैधानिक अधकार है। हरिसत को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लयि सभी प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करने में वफिलता संवधिान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत मौलिक अधकार का उल्लंघन होगी।
- गैर-मनमाने कार्यवाहियाँ: प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मनमाने कार्यों से बचें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी चरणों में हरिसत में लयि गए व्यक्तिके अधकारों का सम्मान कयि जाए।
 - इसमें गरिफ्तार कयि गए व्यक्तिके समझ में आने वाली भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है।
- अनावश्यक रूप से हुई देरी: अधकारियों को अनावश्यक रूप से हुई देरी से बचने के लयि उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, हरिसत से संबंधित सूचना समय पर सुनिश्चित करनी चाहिये।

गरिफ्तारी और नज़रबंदी के वरिद्ध संरक्षण के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- संवैधानिक आधार: भारतीय संवधिान का अनुच्छेद 22 गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - ये प्रावधान गरिफ्तारी या नज़रबंदी की वभिन्न परिस्थितियों में मौलिक अधकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
 - नज़रबंदी के प्रकार: नज़रबंदी दो प्रकार की होती है।
 - दंडात्मक नरिध (Punitive Detention): किसी व्यक्तिको उसके द्वारा कयि गए अपराध के लयि न्यायालय में सुनवाई और दोषसिद्धि के पश्चात दंडित कयि जाता है। यह वधिा द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है।
 - नविवारक नरिध (Preventive Detention): इसमें किसी व्यक्तिको बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के हरिसत में लयिा जाता है, जसिका उद्देश्य भवषिय में अपराध को रोकना होता है। यह नरिध संदेह के आधार पर होता है और संभावित नुकसान से बचने के लयि एहतियाती उपाय के रूप में कार्य करता है।
 - अनुच्छेद 22 के भाग: अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं।
 - पहला भाग: पहला भाग सामान्य कानून के तहत अधकारों (शतरु वदिशी या नविवारक नरिध कानूनों के तहत हरिसत में लयि गए व्यक्तियों

को छोड़कर सभी अधिकारों में शामिल हैं) से संबंधित है, न की नकारक नरीध से।

- **कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार** : गरिफ्तार व्यक्ति को **कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने** और बचाव का अधिकार है।
- **त्वरति न्यायिक समीक्षा का अधिकार** : उन्हें **गरिफ्तारी के 24 घंटे** के भीतर मजस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **लंबे समय तक हरिसत में रखने के विरुद्ध अधिकार** : उन्हें **24 घंटे के बाद रहि कर** दिया जाना चाहिये, जब तक की मजस्ट्रेट आगे भी हरिसत में रखने का आदेश न दे।
- **दूसरा भाग: यह विशेष रूप से नकारक नरीध कानूनों के तहत सुरक्षा से संबंधित है, जो नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।**
 - **बना समीक्षा के अधिकतम हरिसत अवधि** : किसी व्यक्ति की हरिसत **तीन महीने** से अधिक नहीं हो सकती जब तक की सलाहकार बोर्ड (बोर्ड में **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे**) वसितारति हरिसत के लिये पर्याप्त कारण न बताए।
 - **हरिसत के आधार की जानकारी** : हरिसत के आधार की जानकारी हरिसत में लिये गए व्यक्ति को दी जानी चाहिये। हालाँकि सार्वजनिक हति के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करना जरूरी नहीं है।
 - **प्रतिनिधित्व का अधिकार**: हरिसत में लिये गए व्यक्ति को **नज़रबंदी आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना** चाहिये।
- **नकारक नरीध पर वधायी शक्तियाँ**: संसद को **रक्षा, वदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा** से जुड़े कारणों के लिये नकारक नरीध पर कानून बनाने का **विशेष अधिकार** है।
 - **संसद** तथा **राज्य वधानमंडल** दोनों ही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा **समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं** को बनाए रखने से संबंधित कारणों से नकारक नरीध का कानून **एक साथ** बना सकते हैं।
- **नयंत्रण हेतु संसद की शक्ति**: अनुच्छेद 22 संसद को यह नरीधरति करने का अधिकार देता है की:
 - वे **परस्थितियों और मामलों के वर्ग** जिनमें किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना नकारक नरीध कानून के तहत **तीन महीने से अधिक समय तक हरिसत में रखा जा सकता है**;
 - वह **अधिकतम अवधि** जिसके लिये किसी व्यक्ति को नकारक नरीध कानून के तहत किसी भी वर्ग के मामलों में **हरिसत में रखा जा सकता है**; तथा
 - किसी जाँच में **सलाहकार बोर्ड** द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- **प्रमुख संशोधन: 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978** ने सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना हरिसत की अवधि को **तीन महीने से घटाकर दो महीने** कर दिया है।
 - हालाँकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिये तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।
- **भारत में नकारक नरीध कानून**: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध को रोकने के लिये संसद द्वारा कई नकारक नरीध कानून बनाए गए हैं। **उदाहरण**:
 - आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), 1971 (**1978 में नरिसत**)
 - वदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नकारक अधिनियम (COFEPOSA), 1974
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980**
 - आतंकवादी एवं वधिवंसकारी गतिविधियाँ नरीधक कानून (TADA) 1985 (**1995 में नरिसत**)।
 - आतंकवाद नरीधक अधिनियम (POTA), 2002 (**2004 में नरिसत**)
 - **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 सहित कई बार संशोधित)।
- **भारत में नकारक नरीध की आलोचना**: विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने नकारक नरीध को संवधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा की भारत में किया गया है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अज्ञात है।
 - इसका प्रयोग ब्रिटन में केवल **प्रथम** और **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान किया गया था।
 - भारत में नकारक नरीध **ब्रिटिश शासन** के दौरान भी मौजूद था। उदाहरण के लिये बंगाल राज्य कैदी वनियमन, 1818 और भारत रक्षा अधिनियम, 1939 में नकारक नरीध का प्रावधान था।

नकारक नरीध कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **कानून का दुरुपयोग** : नकारक नरीध भारतीय संवधान में **मौलिक अधिकारों के साथ मौजूद है, लेकिन राजनीतिक लाभ या मुक्त भाषण को नयंत्रित करने** के लिये इसका दुरुपयोग चिता का विषय है।
 - **उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ स्थानीय क्रिकेट विवाद** जैसे मामूली मुद्दों पर नकारक नरीध लागू किया गया तथा इसके दुरुपयोग की संभावना भी दिखाई देती है।
- **नयंत्रण और संतुलन का अभाव**: सीमति न्यायिक नगरानी के साथ हरिसत में रखने की व्यापक शक्तियों से प्राधिकार के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
 - **न्यायिक जाँच** का दायरा यह सुनिश्चित करने तक सीमति है कि **प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन** किया गया है, लेकिन **हरिसत के गुण-दोष को सुनिश्चित करना इसमें शामिल नहीं है**।
- **पारदर्शिता का अभाव**: असहमति को रोकने के लिये बार-बार हरिसत में लेने का प्रयोग, अधिक **जवाबदेही** की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **औपनिवेशिक युग के कानून** : कुछ नकारक नरीध कानून **औपनिवेशिक काल के हैं जो आधुनिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं हैं**।

नकारक नरीध से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामले कौन से हैं?

- **1954** : सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय उन तथ्यों

की सत्यता की जाँच करने के लिये सक्षम नहीं हैं जो हरिसत का आधार बनते हैं।

○ इससे नविवारक नरिोध मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमति भूमिका का संकेत मलित है।

- **1975**: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) 1971** के तहत नज़रबंदी के आधार की वैधता का आकलन करने की शक्ति उसके पास नहीं है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि हरिसत में लेने वाले प्राधिकारी का नरिणय अंतिम होता है तथा न्यायालय अपने नरिणय को प्रतस्थिपति करने में असमर्थ होते हैं।
- **1981**: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नविवारक नरिोध कानून **संसदीय प्रणाली** के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
 - हालाँकि इसने फैसला सुनाया कि यह मुद्दा **राजनीतिक प्रकृतिका** है, इसलिये यह न्यायपालिका की नहीं, बल्कि **वधियिका** की ज़िम्मेदारी है।
- **2011**: सर्वोच्च न्यायालय ने नविवारक नरिोध को **"लोकतांत्रिक वधिरों के प्रतकिल"** कहा तथा **अनुच्छेद 21** (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होने से बचने के लिये इसे संकीर्ण सीमाओं के भीतर लागू करने का आग्रह किया।
- **2014**: मद्रास उच्च न्यायालय ने दोहराया कि नविवारक नरिोध का उद्देश्य **राज्य को होने वाले नुकसान को रोकना है, न कि बंदी को दंडित करना**।
 - हरिसत में लेने का नरिणय **राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, वधिश्री मामले और सामुदायिक सेवाओं** जैसे मानदंडों के अंतर्गत प्राधिकारी की **व्यक्तपिरक संतुष्टि पर आधारित** होता है।
- **2019**: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नविवारक नरिोध **किसी व्यक्तिका की व्यक्तगत स्वतंत्रता का उल्लंघन** है जिसे लापरवाहीपूर्वक आरोपित से नहीं किया जा सकता।
- **2021**: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई व्यक्तपिहले से ही हरिसत में हो तो नविवारक नरिोध का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने कहा कि यदि हरिसत में लिये गए व्यक्तिका के कारणोंसे **व्यापक सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं फैलती है या सामाजिक शांति भंग नहीं होती है**, तो उसे नविवारक नरिोध कानूनों के तहत हरिसत में लेने का कोई वैध आधार नहीं है।

नषिकरष

यद्यपि भारतीय संवधिन द्वारा नविवारक नरिोध की अनुमति दी गई है, लेकिन इसे अक्सर व्यक्तगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये खतरा माना जाता है। अनरिंतरित प्राधिकरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिये आवश्यक है। नषिकरष प्रक्रियाओं की गारंटी देने, दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा तथा मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने हेतु सुधार आवश्यक हैं। आधुनिक भारत में नविवारक नरिोध को नषिकरष और उचित बनाने के लिये, औपनवशिक युग के कानून का गहन परकिषण एवं अद्यतन की आवश्यकता है।

1975 1981 2011 2014 2019 2021

प्रश्न: भारत में नविवारक नरिोध से संबंधित संवैधानिक प्राधानों का परकिषण कीजिये। नविवारक नरिोध के संबंध में न्यायपालिका व्यक्तगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में किस प्रकार मदद करती है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

1975 1981 2011 2014 2019 2021

प्र. रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य था: (2012)

- युद्ध प्रयासों के लिये अनविरय आरथिक सहायता प्रदान करना
- परीक्षण के लिये परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बनिा कारावास
- खलिाफत आंदोलन का दमन करना
- प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतबिंध लगाना

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? (2009)

- इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया
- इसने भारतीय पारंपरिक शकिषा को दबा दिया
- इसने सरकार को बनिा मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिये अधिकृत किया
- इसने ट्रेड यूनियन गतविधियों पर अंकुश लगाया

उत्तर: (C)

?????

प्रश्न: भारत सरकार ने हाल ही में गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वसिधी कानूनों को मज़बूत कयिा है। मानवाधकार संगठनों द्वारा UAPA के वसिध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में, इन परविरतनों का वसिलेषण कीजयि। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-standards-for-preventive-detention>

